79

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 4-1/981/1994 - विरूद्ध आदेश दिनांक 31-8-1994 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,ग्वालियर- प्रकरण कमांक 98/1993-94 अपील

सुघर सिंह पुत्र शीतल सिंह यादव
इटावा रोड तहसील व जिला भिंड -- अपीलांट

विरूद्ध

1- उमेशकुमार पुत्र ओमप्रकाश बोहरे
झांसी रोड, तहसील व जिला भिंड
2- मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर भिंड ---रिस्पाण्डेन्ट्स

(अपीलांट के अभिभाषक श्री ए0के0अग्रवाल)
(रिस्पा.क्र. 1 सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)
(रिस्पा.क्र. 2 के अभिभाषक श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक 16-2-2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 98/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-8-1994 के विरूद्ध यह अपील मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रिस्पा0क्र0 1 ने तहसीलदार भिण्ड को आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे नंबर 1124 का बंदोवस्त के दौरान नक्शे में रकबा 9 बिसवा से 7 बिसवा हो गया है जिसे सुधार किया जाय। तहसीलदार भिण्ड ने प्रकरण कमांक 1/1992-93 अ 5 पंजीबद्ध किया । सुनवाई के दौरान आवेदक ने तहसील न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति प्रस्तुत की, जिसका निराकरण किये बिना प्रकरण अंतरिम आदेश दि0 4-12-92 से तर्क हेतु लगा

दिया। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 14/92-93 निगरानी में आदेश पारित करके प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ लौटाया गया कि वह स्थल निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन भिजवायें। रिस्पा. क-2 ने कलेक्टर भिण्ड को आवेदन देकर मांग की कि जिन बिन्दुओं पर जांच के निर्देश दिये है वह न्यायालयीन प्रकरण कमांक 363/92-93 बी 121 में पूर्व से ही मौजूद है फलतः तहसील से प्रकरण वापिस मॅगाया गया एंव कलेक्टर भिण्ड ने पक्षकारों की सुनवाई उपरांत प्रकरण कमांक 363/92-93 बी 121 में आदेश दिनांक 28-2-1994 पारित किया तथा बंदोवस्त के दौरान भूमि सर्वे नंबर 1124 से लगे हुये सर्वे नंबर 1225 का रकबा 3 वीघा 4 विसवा से 3 वीघा 6 विसवा होना पाने से सर्वे नंबर 1125 के रकबा में से 2 विसवा रकबा कम करके सर्वे नंबर 1124 में मिलाने पर 7 विसवा के बजाय रकबा 9 विसवा नक्शे में पूर्ण किये जाने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील होने पर प्रकरण कमांक 98/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-8-1994 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वित्तीय अपील है।

3/ अपील मेमो में दिये गये आधारों पर अपीलांट एंव रिस्पा0 कमांक 2 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। रिस्पा0कमांक-1 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ अपीलांट एंव रिस्पा0 कमांक-2 के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि मौके की जॉच में वस्तुस्थिति यह पाई गई कि सर्वे नंबर 1124 एंव 1125 एक-दूसरे से लगे हुये हैं । बंदोवस्त के दौरान नक्शा तैयार करते समय सर्वे नंबर

1124 से लगे हुये सर्वे नंबर 1125 का रकबा 3 वीघा 4 विसवा से बढ़कर 3 वीघा 6 विसवा आकृति नक्शे में बन गई इस प्रकार सर्वे नंबर 1125 का रकबा 2 विसवा आकृति में अधिक हो गया एंव सर्वे नंबर 1124 के रकबे की आकृति 9 विसवा के बजाय 7 विसवा की सीमा रेखायें अंकित हो गई जब मौके पर सीमांकन कर जांच की गई तब खसरा अंकन के रकबा में एंव नक्शा की आकृति में भिन्नता पाई गई, जिसका मिलान कर सत्यापन उपरांत कलेक्टर भिण्ड ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंतर्गत नक्शे में आकृतियॉ सुधार के आदेश दिये है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि नहीं पाये जाने से अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 98/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-8-1994 से कलेक्टर भिण्ड के आदेश दिनांक 28-2-94 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेशों के अवलोकन से आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन अपील में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त करते हुये अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 98/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-8-1994 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर